भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4224
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना

4224. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शुरू की गई प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और मध्य प्रदेश और दादरा और नगर हवेली में जिलेवार उक्त योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं की संख्या कितनी है और कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में पीएमएमवीवाई के तहत महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी स्थिति क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली में महिलाओं को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) उक्त राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में इस योजना को वंचित महिलाओं के लिए सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों/कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य योजना लागू कर रही है और यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मुख्य विशेषताएं (पीएमएमवीवाई)**अनुलग्नक-I** में दी गई हैं।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएमवीवाई के तहत जारी की गई निधि के केंद्रीय अंश का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा तथा मातृत्व लाभ प्रदान करने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है। पीएमएमवीवाई के तहत निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की जिला-वार संख्या **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

(ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में पीएमएमवीवाई को क्रियान्वित कर रहा है जिसमें देश के आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। तथापि, तेलंगाना राज्य सरकार राज्य में पीएमएमवीवाई क्रियान्वित नहीं कर रही है। इस योजना की शुरुआत से लेकर 16.12.2024 तक देश के आकांक्षी जिलों में मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

(घ): जी, नहीं। मध्य प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव सहित देश भर में पात्र लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है।

(ड.): मंत्रालय मध्य प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के लिए संकल्प- महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, डोर टू डोर अभियान, क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्तर पर आयोजित किए जाने सामुदायिक कार्यक्रम। इसके अलावा, मंत्रालय मध्य प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समय-समय पर पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान भी चला रहा है।

(च): बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू की गई थी। यह लैंगिक भेदभाव के पर आधारित लिंग-चयन की प्रथा को

रोकने, बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बीबीबीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के तहत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले सहित देश के सभी जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार बीबीबीपी को कार्यान्वित नहीं कर रही है।

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई जेएसवाई गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है, विशेषकर कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं में जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की महिलाएं। 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई यह योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों (एलपीएस) पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जेएसवाई के तहत वित्तीय सहायता उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध है, जहां संस्थागत प्रसव की दर कम है अर्थात असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन राज्यों को कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों (एलपीएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, शेष राज्यों में जहां संस्थागत प्रसव का स्तर संतोषजनक है वहां केवल बीपीएल/एससी/एसटी परिवारों की गर्भवती महिलाएं ही जेएसवाई लाभ के लिए पात्र हैं। इन राज्यों को जेएसवाई के तहत उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों (एचपीएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उस्मानाबाद जिले सहित महाराष्ट्र राज्य एचपीएस के अंतर्गत आता है जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बीपीएल/एससी/एसटी गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए क्रमशः 1,400 रुपये और 700 रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाती है। देश भर में घर पर प्रसव के मामले में बीपीएल गर्भवती महिलाओं को 500 रुपये की नकद सहायता भी प्रदान की जाती है।

*****

अनुलग्नक -I

'पीएमएमवी योजना' के संबंध में श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री ज्ञानेश्वर पाटील और श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा 20.12.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4224 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की मुख्य विशेषताएं

(i) मातृत्व लाभ, समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग से संबंधित वर्ष 18 वर्ष की आयु के बीच 55 महीने से 7की गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध है (पीडब्लू एंड एलएम), बशर्ते कि शर्तों को पूरा करने पर दूसरा बच्चा बालिका हो। केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रोजगार में संलग्न सभी पीडब्लू एंड एलएम या जो किसी भी कानून के तहत इस तरह के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें शामिल नहीं किया गया है।

(ii) पहले बच्चे के लिए पीएमएमवीवाई के अंतर्गत शर्तें और किस्तों की संख्या निम्नानुसार है:

नकद अंतरण	शर्तें	राशि ₹ में
पहली किस्त	आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) /संबंधित प्रशासकीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चिन्हित अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं पर गर्भावस्था का पंजीकरण और अंतिम मासिक धर्म (एलएमपी) तिथि से 6 महीने के भीतर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच।	3,000/-
दूसरी किस्त	• बच्चे का जन्म पंजीकृत है • बच्चे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत चौदह सप्ताह की आयु तक सभी टीके लग चुके हैं।	2,000/-

(iii) दूसरे बच्चे के लिए पीएमएमवीवाई के अंतर्गत शर्तें और किस्तों की संख्या निम्नानुसार है:

नकद अंतरण	शर्तें	राशि ₹ में

एकल किस्त	आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) /संबंधित प्रशासकीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चिन्हित अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं पर गर्भावस्था का पंजीकरण और एल.एम.पी. तिथि से 6 महीने के भीतर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच। इस योजना के तहत बालिका के जन्म का पंजीकरण किया जाएगा। बालिका को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत चौदह सप्ताह की आयु तक सभी आवश्यक टीके लगवाए गए हैं।	6,000/-

(iv) समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग का निर्धारण करने के मानदंड हैं:

i. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ;
ii. ऐसी महिलाएँ जो आंशिक रूप से (40%) या पूरी तरह से विकलांग (दिव्यांग जन) हैं
iii. बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएँ
iv. आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी।
v. ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएँ
vi. किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी महिला किसान
vii. मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएँ
viii. ऐसी महिलाएँ जिनकी कुल पारिवारिक आय ₹8 लाख प्रति वर्ष से कम है
ix. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/ आंगनवाड़ी सहायिका/ आशा कार्यकर्ता
x. एनएफएसए अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएँ

(v) मातृ एवं शिशु सुरक्षा (एमसीपी) कार्ड शर्तों की पूर्ति के सत्यापन के लिए सत्यापन साधन है।

(vi) पीएमएमवीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों को मातृत्व लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के तहत सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक/डाकघर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

(vii) लाभार्थी प्रसव की तारीख से 270 दिनों के भीतर पीएमएमवीवाई योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह योजना के तहत अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

(viii) केंद्र में इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पास इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करने का विकल्प है।

अनुलग्रक-II

'पीएमएमवी योजना' के संबंध में श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री ज्ञानेश्वर पाटील और श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा 20.12.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4224 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

पीएमएमवीवाई के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई निधि में केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा तथा मातृत्व लाभ प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)	मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)	मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)	मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)	मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)	मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.27	2,357	0.98	2,189	1.19	1,646	0.18	2,063	0.00	856
2	आंध्र प्रदेश	101.25	5,12,663	14.39	2,92,244	20.22	71,393	71.89	5,22,323	57.99	1,50,288
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	9,320	8.72	8,527	0.56	4,639	1.43	5,770	0.00	1,399
4	असम	125.95	4,17,902	94.69	2,01,408	35.47	2,85,496	79.18	2,34,220	155.05	1,60,354
5	बिहार	101.88	8,91,182	319.98	11,87,062	211.74	4,88,941	171.74	8,52,364	0.00	1,01,686
6	चंडीगढ़	3.99	9,372	4.40	7,945	1.89	8,083	0.62	9,597	4.08	3,038
7	छत्तीसगढ़	52.93	2,49,697	9.66	1,83,329	38.66	1,92,977	72.75	2,36,812	0.00	83,540
8	दिल्ली	26.88	1,04,049	5.46	80,606	28.31	1,26,519	31.46	1,25,739	27.15	42,130
9	गोवा	1.40	6,342	0.12	6,171	1.09	4,416	1.61	8,652	0.00	1,486

10	गुजरात	102.68	4,07,749	0.00	1,62,831	46.32	93,346	17.92	3,04,041	75.64	1,58,132
11	हरियाणा	65.87	2,16,901	7.36	1,19,876	40.02	2,10,775	63.66	2,22,934	0.00	12,624
12	हिमाचल प्रदेश	33.69	81,510	7.73	67,528	21.17	68,439	14.19	71,966	10.56	9,315
13	जम्मू और कश्मीर	30.12	84,365	7.50	60,382	39.34	1,11,941	20.60	83,247	33.60	13,012
14	झारखंड	63.38	2,72,433	16.27	1,80,113	58.39	1,86,996	29.27	1,46,338	0.00	64,824
15	कर्नाटक	119.53	5,37,546	37.92	50,7991	142.77	4,79,537	148.87	8,15,729	113.96	1,64,345
16	केरल	64.19	2,73,194	15.29	2,16,856	53.37	2,88,413	53.96	2,46,069	61.06	76,924
17	लद्दाख*	0.00	1,437	0.76	1,173	0.38	1,071	0.31	906	0.69	1,400
18	लक्षद्वीप	0.18	327	0.06	673	0.11	481	0.14	116	0.23	531
19	मध्य प्रदेश	285.16	9,88,762	62.78	9,33,840	130.29	9,10,123	204.02	9,52,957	105.51	4,18,306
20	महाराष्ट्र	294.14	10,31,881	113.11	8,08,456	99.50	8,06,294	240.83	9,89,233	0.00	93,891
21	मणिपुर	4.12	23,980	6.48	16,441	1.15	8,352	3.45	8,009	7.93	7,685
22	मेघालय	4.21	16,816	5.08	10,004	5.08	12,689	6.26	11,806	0.00	3,818
23	मिजोरम	8.12	9,397	5.46	7,378	2.90	8,155	1.99	8,771	1.40	2,423
24	नागालैंड	2.67	15,208	1.39	6,074	4.98	4,677	2.03	5,883	2.42	2,473
25	ओडिशा	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
26	पुद्दुचेरी	1.60	10,554	0.85	6,472	2.39	9,135	1.96	9,293	0.00	243
27	पंजाब	35.54	1,49,721	12.79	1,27,690	16.47	59,588	18.82	1,95,429	32.05	83,221
28	राजस्थान	96.52	5,35,320	100.02	4,51,779	108.20	4,76,480	81.84	5,66,822	123.23	1,86,182
29	सिक्किम	0.88	4,630	0.57	3,314	0.42	3,334	0.70	3,568	1.28	898
30	तमिलनाडु	46.21	5,24,125	93.39	4,73,257	52.31	2,78,921	68.03	2,42,546	0.00	2,86,823
31	तेलंगाना	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.51	6,527	0.34	4,734	0.00	4,771	1.84	6,448	0.91	2,845
33	त्रिपुरा	5.29	42,712	7.55	25,197	6.04	18,052	3.27	29,787	11.31	7,690
34	उत्तर प्रदेश	405.56	16,45,123	99.28	13,02,774	290.85	9,91,992	500.68	17,60,492	0.00	2,77,011
35	उत्तराखंड	27.66	75,864	18.97	80,992	20.71	71,954	16.69	90,803	30.35	48,451
36	पश्चिम बंगाल	87.69	5,10,900	0.00	12,864	46.94	166	63.22	9,21,812	0.00	0

* 2020-21 से पहले लद्दाख को जम्मू और कश्मीर के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

अनुलग्नक-III

'पीएमएमवी योजना' के संबंध में श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री ज्ञानेश्वर पाटील और श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा 20.12.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4224 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

मध्य प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में पीएमएमवीवाई के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान मातृत्व लाभ प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या का वर्षवार और जिलावार विवरण

मध्य प्रदेश

क्र.सं.	जिले का नाम	मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आगर मालवा	7,458	7,090	6,820	6,777	3,404
2	अलीराजपुर	11,292	10,114	8,668	9,577	3,402
3	अनुपपुर	9,715	7,898	7,504	8,557	4,474
4	अशोकनगर	12,408	12,008	12,509	11,446	7,305
5	बालाघाट	20,650	19,690	22,178	21,002	11,963
6	बड़वानी	18,230	17,857	17,504	17,298	11,753
7	बेतुल	18,946	19,834	20,493	21,613	10,528
8	भिंड	21,287	19,237	17,376	16,752	6,732
9	भोपाल	32,389	30,570	29,644	28,893	10,920
10	बुरहानपुर	8,954	9,355	9,858	9,459	4,957
11	छतरपुर	20,976	21,927	21,346	24,706	11,660
12	छिंदवाड़ा	25,269	26,775	27,389	29,728	12,507
13	दमोह	16,766	15,640	16,372	17,160	5,978
14	दतिया	10,723	9,636	9,968	11,057	5,191
15	देवास	22,830	19,858	20,791	21,346	9,062
16	धार	34,441	30,992	29,875	32,821	13,703
17	डिंडौरी	9,666	9,384	8,870	9,687	4,988
18	पूर्व निमाड़	18,732	16,368	16,831	16,804	5,261
19	गुना	18,247	18,413	17,157	17,488	9,252
20	ग्वालियर	26,048	23,085	23,622	23,983	8,894
21	हरदा	7,024	7,877	7,615	8,010	2,535
22	इंदौर	40,577	46,017	50,718	51,878	21,513
23	जबलपुर	34,391	29,366	31,314	33,453	14,445
24	झाबुआ	25,586	17,778	13,116	14,321	6,970
25	कटनी	16,868	15,740	14,278	15,424	7,229
26	खरगोन	23,681	24,024	23,744	23,805	12,405
27	मैहर	0	0	0	0	0
28	मंडला	14,136	11,866	11,874	12,893	7,804

29	मन्दसौर	17,297	16,190	16,038	17,184	7,774
30	मऊगंज	0	0	0	0	,312
31	मुरैना	27,876	26,247	23,893	23,198	8,232
32	नर्मदापुरम	14,751	15,529	15,108	16,231	6,376
33	नरसिंहपुर	12,196	12,434	12,643	13,376	4,782
34	नीमच	9,177	9,327	9,757	10,209	4,363
35	निवाड़ी	5,283	5,288	5,329	5,221	1,876
36	पांढुर्णा	0	0	0	0	0
37	पन्ना	12,429	12,677	12,815	13,716	6,755
38	रायसेन	17,887	18,919	17,311	18,674	7,292
39	राजगढ़	24,710	22,480	21,755	23,063	8,533
40	रतलाम	21,105	19,293	18,788	20,974	9,431
41	रीवा	33,005	28,166	25,177	26,783	8,020
42	सागर	29,357	29,331	27,829	29,231	11,265
43	सतना	29,620	25,824	23,196	26,303	11,926
44	सीहोर	19,179	20,228	18,681	18,716	8,873
45	सिवनी	18,817	18,270	18,583	20,217	9,457
46	शहडोल	15,986	13,569	12,057	13,137	6,857
47	शाजापुर	13,871	12,683	12,481	12,500	6,583
48	श्योपुर	10,642	9,903	8,789	9,671	4,070
49	शिवपुरी	22,332	20,765	21,679	22,167	9,798
50	सीधी	16,079	14,718	12,694	13,240	4,997
51	सिंगरौली	16,198	16,037	13,686	15,258	5,879
52	टीकमगढ़	15,525	13,669	13,792	14,022	7,747
53	उज्जैन	27,268	25,320	24,333	27,605	9,853
54	उमरिया	9,691	8,352	7,494	7,908	4,660
55	विदिशा	21,191	20,222	18,781	18,415	7,760

नोट:- पीएमएमवीवाई के अंतर्गत कम से कम एक किस्त का भुगतान करने वाले लाभार्थियों की संख्या। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या में वे लाभार्थी भी शामिल हो सकते हैं जो पिछले वर्षों में भी नामांकित थे।

दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या**				
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	दादरा और नगर हवेली	4,412	3,280	3,200	4,559	1,979
2	दमन	1,757	1,137	1,356	1,612	697
3	दीव	358	317	215	277	169

नोट:- पीएमएमवीवाई के अंतर्गत कम से कम एक किस्त का भुगतान पाने वाले लाभार्थियों की संख्या। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में भुगतान पाने वाले लाभार्थियों की संख्या में वे लाभार्थी भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें पिछले वर्षों में भी नामांकित किया गया था।

अनुलग्नक-IV

'पीएमएमवी योजना' के संबंध में श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री ज्ञानेश्वर पाटील और श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा 20.12.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4224 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

देश के आकांक्षी जिलों में योजना की शुरुआत से लेकर 16.12.2024 तक पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	आकांक्षी जिले का नाम	मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	72,928
2	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	65,690
3	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर. कडप्पा	82,355
4	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई	1,728
5	असम	गोलपाड़ा	42,784
6	असम	बरपेटा	96,935
7	असम	हैलाकांडी	27,550
8	असम	बक्सा	35,988
9	असम	दरांग	47,508
10	असम	उदलगुड़ी	27,803
11	असम	धुबरी	68,306
12	बिहार	सीतामढ़ी	93,710
13	बिहार	अररिया	85,493
14	बिहार	पूर्णिया	86,455
15	बिहार	कटिहार	1,15,757
16	बिहार	मुजफ्फरपुर	1,70,446
17	बिहार	बेगूसराय	1,56,171
18	बिहार	खगड़िया	58,744
19	बिहार	बांका	92,491
20	बिहार	शेखपुरा	21,728
21	बिहार	औरंगाबाद	91,456
22	बिहार	गया	1,33,556
23	बिहार	नवादा	95,963
24	बिहार	जमुई	54,101
25	छत्तीसगढ़	कोरबा	40,023
26	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	67,140
27	छत्तीसगढ़	महासमुंद	43,791
28	छत्तीसगढ़	कांकेर	26,033
29	छत्तीसगढ़	नारायणपुर	3,129
30	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा	9,639

31	छत्तीसगढ़	बीजापुर	4,924
32	छत्तीसगढ़	बस्तर	29,177
33	छत्तीसगढ़	कोंडागांव	16,573
34	छत्तीसगढ़	सुकमा	7,577
35	गुजरात	दाहोद	63,938
36	गुजरात	नर्मदा	14,193
37	हरियाणा	मेवात (नूह)	18,935
38	हिमाचल प्रदेश	चंबा	22,822
39	जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाड़ा	29,795
40	जम्मू एवं कश्मीर	बारामूला	37,613
41	झारखंड	गढ़वा	33,186
42	झारखंड	चतरा	24,065
43	झारखंड	गिरिडीह	58,163
44	झारखंड	गोड्डा	40,932
45	झारखंड	साहिबगंज	37,940
46	झारखंड	पाकुर	25,410
47	झारखंड	बोकारो	53,472
48	झारखंड	लोहरदगा	18,112
49	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	45,825
50	झारखंड	पलामू	57,426
51	झारखंड	लातेहार	18,782
52	झारखंड	हजारीबाग	47,952
53	झारखंड	रामगढ़	23,947
54	झारखंड	दुमका	47,394
55	झारखंड	रांची	60,479
56	झारखंड	खूंटी	17,389
57	झारखंड	गुमला	41,239
58	झारखंड	सिमडेगा	19,672
59	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	41,728
60	कर्नाटक	रायचूर	89,329
61	कर्नाटक	यादगीर	81,805
62	केरल	वायनाड	23,559
63	मध्य प्रदेश	छतरपुर	1,09,579
64	मध्य प्रदेश	दमोह	73,484
65	मध्य प्रदेश	बड़वानी	93,583
66	मध्य प्रदेश	राजगढ़	97,587
67	मध्य प्रदेश	विदिशा	85,221
68	मध्य प्रदेश	गुना	80,370
69	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	70,232
70	मध्य प्रदेश	खंडवा (पूर्वी निमाड़)	74,291
71	महाराष्ट्र	नंदुरबार	50,578
72	महाराष्ट्र	वाशिम	37,854

73	महाराष्ट्र	गडचिरोली	45,597
74	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	53,925
75	मणिपुर	चंदेल	1,750
76	मेघालय	रिभोई	7,488
77	मिजोरम	मामित	5,206
78	नागालैंड	कैफाइर	1,700
79	ओडिशा	ढेंकनाल	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
80	ओडिशा	गजपति	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
81	ओडिशा	कंधमाल	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
82	ओडिशा	बलांगीर	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
83	ओडिशा	कालाहांडी	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
84	ओडिशा	रायगढ़	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
85	ओडिशा	कोरापुट	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
86	ओडिशा	मल्कानगिरी	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
87	ओडिशा	नबरंगपुर	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
88	ओडिशा	नुआपाड़ा	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
89	पंजाब	मोगा	22,184
90	पंजाब	फिरोजपुर	27,760
91	राजस्थान	धौलपुर	58,068
92	राजस्थान	करौली	52,117
93	राजस्थान	जैसलमेर	17,005
94	राजस्थान	सिरोही	34,267
95	राजस्थान	बारां	65,282
96	सिक्किम	पश्चिम सिक्किम (ग्यालशिंग)	4,161
97	तमिलनाडु	विरुधुनगर	44,714
98	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	34,060
99	तेलंगाना	आसिफाबाद	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
100	तेलंगाना	भूपालपल्ली	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था
101	तेलंगाना	भद्राद्री-कोठागुडेम	राज्य पीएमएमवीवाई को लागू नहीं कर रहा था

102	त्रिपुरा	धलाई	10,456
103	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	36,142
104	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर	60,304
105	उत्तर प्रदेश	बहराईच	1,39,041
106	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	29,913
107	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	73,201
108	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	69,842
109	उत्तर प्रदेश	चंदौली	55,612
110	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	51,505
111	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	74,150
112	उत्तराखंड	हरिद्वार	66,536

*****